न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/241

1. कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   1/1. गिर्राज आत्मज कन्हैया लाल ।
   1/2. लोकेश आत्मज कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुर जिला कोटा ।
2. लक्ष्मण आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजाराम आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   3/1. अनोख बाई बेवा राजाराम जाति मीणा ।
   3/2. अजय आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. लक्ष्मीचन्द आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   4/1. महावीर उर्फ ओमप्रकाश आत्मज लक्ष्मीचन्द ।
   4/2. अशोक आत्मज लक्ष्मी चन्द जाति मीणा ।
   4/3. कैलाश बाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. आचुकी बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी धन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कान्ही बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी श्री नन्द किशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   2/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज नन्दकिशोर ।
   2/2. भूरिया आत्मज नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रेणू पत्नी मनोज जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. चाहन्या बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा निवासी मेारपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. किशन बिहारी आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. हीरालाल आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2021/245

1. रेणू पत्नी मनोज जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. छाहनिया बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा निवासी मेारपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. आचुकी बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी धन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कान्ही बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी श्री नन्द किशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :-
   2/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज नन्दकिशोर ।
   2/2. भूरिया आत्मज नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/3. अनोख बाई पुत्री
   2/4. नगेन्द्र बाई पुत्री
   2/5. फूला बाई पुत्री निवासीगण ग्राम अरन्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :-
   3/1. गिर्राज आत्मज कन्हैया लाल ।
   3/2. लोकेश आत्मज कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुर जिला कोटा ।
4. लक्ष्मण आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजाराम आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :-
   5/1. अनोख बाई बेवा राजाराम जाति मीणा ।
   5/2. अजय आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. लक्ष्मीचन्द आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :-
   6/1. महावीर उर्फ ओमप्रकाश आत्मज लक्ष्मीचन्द ।
   6/2. अशोक आत्मज लक्ष्मी चन्द जाति मीणा ।
   6/3. कैलाश बाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. किशन बिहारी आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. हीरालाल आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2021/246

1. रेणू पत्नी मनोज जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. छाहनिया बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. आचुकी बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी धन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कान्ही बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी श्री नन्द किशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   2/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज नन्दकिशोर ।
   2/2. भूरिया आत्मज नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/3. अनोख बाई पुत्री
   2/4. नगेन्द्र बाई पुत्री
   2/5. फूला बाई पुत्री निवासीगण ग्राम अरन्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   3/1. गिर्राज आत्मज कन्हैया लाल ।
   3/2. लोकेश आत्मज कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुर जिला कोटा ।
4. लक्ष्मण आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजाराम आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   5/1. अनोख बाई बेवा राजाराम जाति मीणा ।
   5/2. अजय आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. लक्ष्मीचन्द आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   6/1. महावीर उर्फ ओमप्रकाश आत्मज लक्ष्मीचन्द ।
   6/2. अशोक आत्मज लक्ष्मी चन्द जाति मीणा ।
   6/3. कैलाश बाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. किशन बिहारी आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. हीरालाल आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोन्डेन्ट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/23

1. कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   1/1. गिर्राज आत्मज कन्हैया लाल ।
   1/2. लोकेश आत्मज कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुर जिला कोटा ।
2. लक्ष्मण आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजाराम आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   3/1. अनोख बाई बेवा राजाराम जाति मीणा ।
   3/2. अजय आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. लक्ष्मीचन्द आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   4/1. महावीर उर्फ ओमप्रकाश आत्मज लक्ष्मीचन्द ।
   4/2. अशोक आत्मज लक्ष्मी चन्द जाति मीणा ।
   4/3. कैलाश बाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. आचुकी बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी धन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कान्ही बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी श्री नन्द किशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   2/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज नन्दकिशोर ।
   2/2. भूरिया आत्मज नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रेणू पत्नी मनोज जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. चाहन्या बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा निवासी मेारपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. किशन बिहारी आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. हीरालाल आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/24

1. कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   1/1. गिर्राज आत्मज कन्हैया लाल ।
   1/2. लोकेश आत्मज कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुर जिला कोटा ।
2. लक्ष्मण आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजाराम आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   3/1. अनोख बाई बेवा राजाराम जाति मीणा ।
   3/2. अजय आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. लक्ष्मीचन्द आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   4/1. महावीर उर्फ ओमप्रकाश आत्मज लक्ष्मीचन्द ।
   4/2. अशोक आत्मज लक्ष्मी चन्द जाति मीणा ।
   4/3. कैलाश बाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. आचुकी बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी धन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कान्ही बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी श्री नन्द किशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   2/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज नन्दकिशोर ।
   2/2. भूरिया आत्मज नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रेणू पत्नी मनोज जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. चाहन्या बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा निवासी मेारपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. किशन बिहारी आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. हीरालाल आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/25

1. कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :-
   1/1. गिर्राज आत्मज कन्हैया लाल ।
   1/2. लोकेश आत्मज कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुर जिला कोटा ।
2. लक्ष्मण आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजाराम आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :-
   3/1. अनोख बाई बेवा राजाराम जाति मीणा ।
   3/2. अजय आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. लक्ष्मीचन्द आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :-
   4/1. महावीर उर्फ ओमप्रकाश आत्मज लक्ष्मीचन्द ।
   4/2. अशोक आत्मज लक्ष्मी चन्द जाति मीणा ।
   4/3. कैलाश बाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. आचुकी बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी धन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कान्ही बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी श्री नन्द किशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :-
   2/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज नन्दकिशोर ।
   2/2. भूरिया आत्मज नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रेणू पत्नी मनोज जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. चाहन्या बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा निवासी मेारपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. किशन बिहारी आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. हीरालाल आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडेन्ट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/26

1. कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   1/1. गिर्राज आत्मज कन्हैया लाल ।
   1/2. लोकेश आत्मज कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुर जिला कोटा ।
2. लक्ष्मण आत्मज रामचन्द्र जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजाराम आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   3/1. अनोख बाई बेवा राजाराम जाति मीणा ।
   3/2. अजय आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. लक्ष्मीचन्द आत्मज रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   4/1. महावीर उर्फ ओमप्रकाश आत्मज लक्ष्मीचन्द ।
   4/2. अशोक आत्मज लक्ष्मी चन्द जाति मीणा ।
   4/3. कैलाश बाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. आचुकी बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी धन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कान्ही बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी श्री नन्द किशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   2/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज नन्दकिशोर ।
   2/2. भूरिया आत्मज नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रेणू पत्नी मनोज जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. चाहन्या बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा निवासी मेारपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. किशन बिहारी आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. हीरालाल आत्मज घासी जाति मीणा निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2021/245, 2021/246 में एवं अपील संख्या 2021/241, 2022/23, 2022/24, 2022/25, 2022/26 में रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 की ओर से ।

2. श्री जगदीश नन्दवाना, श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपील संख्या 2021/241, 2022/23, 2022/24, 2022/25 एवं 2022/26 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 2021/245 में रेस्पोडेन्ट कम 3 से 6/3 की ओर से ।

3. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से अपील संख्या 2021/245, 2021/246, 2021/241, 2022/23, 2022/24, 2022/25, 2022/26 में ।

4. श्री दीपक सामरिया, अभिभाषक, अपील संख्या 2021/245 एवं अपील संख्या 2021/246 में रेस्पोडेन्ट कम 7 व 8 की ओर से एवं अपील संख्या 2021/241, 2022/23, 2022/24, 2022/25 एवं 2022/26 में रेस्पोडेन्ट कम 5 व 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.01.2023

1. अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 2021/241, 2021/245, 2022/23 एवं 2022/25 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं । अपील संख्या 2021/246, 2022/24 एवं 2022/26 निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त सभी अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान प्रकृति की होने से उक्त सभी अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि रामचन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 91 के अन्तर्गत वादी रामचन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 174/98 जिसका नया वाद संख्या 114/14 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोरपा की कुल किता 7 की रकबा 13.13 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी कम 1 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा निहित है । राजस्व अधिकारियों द्वारा वर्तमान में वादी का हिस्सा सम्पूर्ण आराजी में प्रतिवादीगण के साथ बराबर का दर्ज कर दिया गया है । वादी अपने हिस्से पर काबिज है । अतः वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाकर पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते दर्ज की जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. इसी प्रकार वादी रामचन्द्र के अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या पुराना 233/08 जिसका नया नम्बर 110/14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वाद वास्ते घोषणा एवं विभाजन हेतु प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के पिता अमरलाल आत्मज श्री मन्ना लाल तथा प्रतिवादी कम 1व 2 के पिता व प्रतिवादी कम 03 के पति श्री घांसी लाल तथा प्रतिवादिनी कम 4 लगायत 6 के पिता श्री मथुरा लाल जी की संयुक्त खातेदारी में ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के संवत् 2016 के बन्दोबस्त के पूर्व के खसरा नम्बर 533/1, 5, 423/141, 142, 384/58 की कुल 84 बीघा 03 बिस्वा आराजी थी जिसमें श्री अमर लाल जी का आधा हिस्सा तथा मथुरा लाल व घांसी लाल दोनों का 1/4–1/4 हिस्सा था तथा इसी हिस्से के अनुसार आराजी पर कब्जा था। संवत् 2000 की जमाबन्दी में इसी हिस्से के अनुसार जमाबन्दी में आराजी दर्ज थी किन्तु संवत् 2000 के पश्चात् के संवतों की जमाबन्दी में अमरलाल, मथुरा, घांसी लिखकर हिस्सा नहीं लिखा जिससे संवत् 2016 के बन्दोबस्त में सहवन हिस्सा स्पष्ट नहीं लिखा होने से अमरलाल, मथुरा, घांसी बराबर – बराबर दर्ज कर दिया गया जबकि आराजी में अमरलाल जी का 1/2 हिस्सा था तथा आधे हिस्से के अनुसार ही कब्जा था। वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 6 का नाम दर्ज कर हिस्सा स्पष्ट नहीं लिखा जबकि समस्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1 से 3 का 1/4, प्रतिवादी कम 4 से 6 का 1/4 हिस्सा है तथा पक्षकारों का इसी प्रकार कब्जा है। वादी अपने पूर्व के हिस्से के अनुसार आराजी में हिस्सा दर्ज कराकर कब्जे के अनुसार विभाजन कराना चाहते हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी कम 1 से 3 को 1/4, प्रतिवादी कम 4 से 6 को 1/4 हिस्से का सहखातेदार कृषक घोषित किया जाकर आराजी के हिस्से के अनुसार विभाजन किया जाकर पक्षकारान के तन्हा–तन्हा खातेदारी में दर्ज करने की डिकी पारित की जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2004 के द्वारा वाद संख्या पुराना 174/98 जिसका नया वाद संख्या 114/14 बना है उसे स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य घोषणा करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिकी पारित कर दी जो आज भी अस्तित्व में है। उसके बाद भी वादी रामचन्द्र ने इसी वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक अन्य वाद संख्या 110/14 (पुराना वाद संख्या 233/08) पेश किया है जिसमें परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 के अन्तर्गत कैम्प गोदल्याहेडी में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.06.2017 के द्वारा प्रारम्भिक डिकी पारित की गई है।

6. इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 29/15 आचूकी बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एंव 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा में कुल किता 05 की रकबा 5.09 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादिनी के पिता के खातेदारी में दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 01 तथा उनकी बहिन दाखां बाई के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हुई। उक्त भूमि में वादिनी का 1/3 हिस्सा निहित है। ग्राम मोरपा में ही कुल किता 07 में रकबा 13.13 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादिनी के पिता का 1/3 हिस्सा निहित था। उक्त 1/3 हिस्से पर वादिनी के पिता मथुरा लाल जी का स्वर्गवास होने के बाद वादिनी व प्रतिवादी कम 01 तथा दाखां बाई का नाम खाते में दर्ज किया गया है। स्वर्गीय मथुरा लाल के कब्जे में आई भूमि खसरा नम्बर 02 रकबा

2.01 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 124 की 0.75 हैक्टर भूमि वादिनी की बहिन दाखां को हिस्से व कब्जे में दी गई तथा पारिवारिक बंटवारा अनुसार सभी वादिनी प्रतिवादी क्रम 01 व दाखा बाई अपने-अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी को वादग्रस्त आराजी में उनके हिस्से का विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी को प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से उनके खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी को प्राप्त भूमि में अपने कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत ग्राम पंचायत गोदत्याहेडी में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.06.2017 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा निर्णय दिनांक 01.02.2021 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08.06.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 से व्यथित होकर कन्हैया लाल व अन्य द्वारा अपील संख्या 2021/241, 2022/23, 2022/24, 2022/25 एवं 2022/26 पेश की । इसी प्रकार श्रीमती रेणू वगै0 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 2021/246 एवं 2021/245 पेश की । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री लोक अदालत में पारित की है तथा अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में प्रारम्भिक डिक्री पारित की है तथा इसी प्रकार अंतिम डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 20.12.2021 को हुई जिस उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर वे अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. समस्त अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषकगण श्री जगदीश जी नन्दवाना एवं श्री रघुवीर सिंह राठौड ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया विद्वान् अभिभाषकगण अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा घोषित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.01.2004 को आज तक चैलेंज नहीं किया गया है। दिनांक 19.01.2004 का निर्णय आज भी अस्तित्व में है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जबकि लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है । इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अपील संख्या 2021/245 में अपीलान्ट रेणू पत्नी मनोज एवं छाहनिया बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा द्वारा वादग्रस्त आराजी में से दाखां बाई पुत्री मथुरालाल से उसके निहित हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.09.2013 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है तब से ही अपीलान्ट रेणू बाई पत्नी मनोज व छाहन्या बाई पत्नी हीरालाल उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण की उपस्थिति लिख दी गई है जबकि अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और उनकी अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई तथा उसके पश्चात् अंतिम डिक्री पारित की है, जो त्रुटिपूर्ण है । जो अंतिम डिक्री जारी की गई है वह केवल पटवारी की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है जिसे तहसीलदार द्वारा वास्ते उचित मार्गदर्शन अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया था परन्तु मार्गदर्शन बाबत् विवेचन न करते हुए इसी के आधार पर निर्णय पारित किया गया । जबकि विभाजन रिपोर्ट तहसील द्वारा कभी प्राप्त ही नहीं हुई । अतः समस्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08.06.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 निरस्त फरमाये जावें ।

12. रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत रूप से प्रारम्भिक डिक्री एवं राजस्व मण्डल के नियमानुसार पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अतः समस्त अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08.06.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 बहाल रखे जावें ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रामचन्द्र द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एवं 91 के तहत वाद संख्या 114/14 (पुराना वाद संख्या 174/98) पेश किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.01.2004 पारित की जा चुकी थी जो आज भी अस्तित्व में है । उसके बाद भी वादी रामचन्द्र ने एक अन्य वाद

संख्या 110/14 (पुराना वाद संख्या 233/08) पेश किया है इस प्रकार वादी रामचन्द्र का पुनः वाद प्रस्तुत करने का क्या औचित्य था ? यह स्पष्ट नहीं है । उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा –2017 के अन्तर्गत कैम्प गोदल्याहेडी में जिसमें आचूकी बाई के अंगूठा निशानी तथा किशन बिहारी के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं, पुनः प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08.06.2017 पारित कर दी गई । अतः प्रकरण में यह अस्पष्टता तथा भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न हो गई । प्रस्तुत प्रकरण में आचूकी बाई ने परीक्षण न्यायालय में वाद संख्या 29/15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2017 के अन्तर्गत कैम्प गोदल्याहेडी में रखते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । लोक अदालत के संदर्भ में अपीलान्ट को नोटिस प्रोपर रूप से तामील नहीं हुए । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.06.2017 पर किशन बिहारी का नाम अंकित है तथा एक अंगूठा निशानी है जिस पर कोई नाम अंकित नहीं है । अन्य किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है । अपीलान्ट के अधिवक्ता की भी उपस्थिति नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है । जबकि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । प्रकरण में कोई राजीनामा पेश नहीं हुआ अंतिम डिक्री भी केवल एक तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर पारित की गई जो विभाजन नियमों के विपरीत है । अंतिम डिक्री तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में जब प्रारम्भिक डिक्री ही त्रुटिपूर्ण है तो प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर पारित अंतिम डिक्री के सम्बन्ध में और अधिक विवेचन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर समस्त अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 29/15 एवं 110/14 में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08.06.2017 खारिज किये जाते हैं । वाद संख्या 29/15 में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 भी निरस्त की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करें तथा राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.02.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा